

आवश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2022



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -पं0नि0 30-41/2016-

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक 26/9/2022

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 – बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 एवं 444 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान एवं मतगणना दलों के गठन प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2987 दिनांक 02.08.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा मतदान दल एवं मतगणना दल के गठन के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये हैं। कतिपय जिलों जहाँ दो चरण में मतदान निर्धारित है वहाँ आवश्यकतानुसार एक कर्मी को दुबारा कार्य में लगाये जाने का प्रावधान है।

प्रासंगिक पत्र की कंडिका (8)(ख)(i) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि मतदान कर्मियों का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन कम से कम 120 प्रतिशत संशोधित डाटा से न्यूनतम 10 प्रतिशत सुरक्षित रखकर प्रथम चरण के नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की समाप्ति के उपरांत आवश्यकतानुसार द्वितीय चरण हेतु तुरंत किया जायगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के मतदान हेतु मतदान कर्मियों का रैण्डोमाइजेशन पंचायत आम निर्वाचन की भाँति एक साथ की जाय। साथ ही कंडिका (9)(ख)के आलोक में मतगणना कर्मियों का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन मतदान अधिकारियों के द्वितीय रैण्डोमाइजेशन के समय ही किया जायेगा।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।


विश्वासभाजन,



सचिव।

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 4449

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक -26/9/2022


सचिव।


26.9.22

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 4449

पटना, दिनांक - 26/9/2021

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त सभी निर्वाचन प्रेक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 4449

पटना, दिनांक - 26/9/2022

प्रतिलिपि : श्री राजेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक-सह-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।